

मानसरोवर थानाधिकारी के खिलाफ खुद के थाने में दर्ज होगी एफआईआर

दुष्कर्म पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-10 ने दुष्कर्म पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने मानसरोवर थानाधिकारी के खिलाफ मानसरोवर थाने में आईपीसी की धारा 166 ए तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मामले की जांच उच्चाधिकारी से करवाकर नतीजा रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं अदालत ने डीसीपी दक्षिण को कहा है कि वह पीड़िता के परिवार के तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने यह आदेश पीड़िता के परिवार पर दिए।

- अदालत ने कहा कि थानाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ डीजीपी के उस परिपत्र की पालना नहीं की है, जिसमें वे महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म मामले की एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य हैं
- कोर्ट ने डीसीपी दक्षिण को कहा कि वह पीड़िता के परिवार के तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करे

अदालत ने कहा कि थानाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ डीजीपी के उस परिपत्र की पालना नहीं की है, जिसमें वे महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म

उसे शादी का झांसा देकर और उसकी सहमति के बिना कई बार संबंध बनाए और अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल किया। वहीं गर्भवती होने पर उसकी सहमति के बिना उसका गर्भपात भी करवा दिया। वहीं पीड़िता की ओर से घटना के संबंध में डीसीपी, दक्षिण और मानसरोवर थाने की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए डाक के जरिए शिकायत भेजी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 166 ए के तहत लोक सेवक द्वारा विधि के निर्देशों की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है।

अब ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ सकेंगे विद्यार्थी



राजकीय विद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने की दिशा में शिक्षा विभाग और के बीच पर हस्ताक्षर किये गए। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। इस एम.ओ.यू. के तहत राजस्थान के 5 जिलों अलवर, अजमेर, जयपुर, कोटा एवं उदयपुर के कक्षा 9 से 12 तक के 10 हजार विद्यार्थियों को 1 वर्ष के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षकों से जोड़ा जाएगा।

माइनिंग, ऑयल और गैस कॉन्क्लेव तीन अगस्त को जयपुर में

जयपुर, (का.सं.)। आगामी 3 अगस्त को जयपुर में आयोजित एक दिवसीय माइनिंग, ऑयल और गैस कॉन्क्लेव में उद्घाटन व समापन सत्र सहित तकनीकी सत्रों में देश और प्रदेश के माइनिंग, पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र के वर्तमान सिनियरिटीयों, दिशा और भावी संभावनाओं पर जाने-माने विशेषज्ञ मंथन करेंगे। कॉन्क्लेव में अन्य विशेषज्ञों के साथ ही कोलंबिया की राजदूत मारियाना पाचेको मॉटेस और आस्ट्रिया के ट्रेड कमिश्नर एवं कामर्सियल काउंसलर हैंस जार्ग हॉर्टनगली भी हिस्सा लेंगे।

- वर्तमान सिनियरिटीयों और भावी संभावनाओं पर होगा मंथन - एसीएस डॉ. अग्रवाल

उन्होंने बताया कि एक दिवसीय कॉन्क्लेव के पहले सत्र में कोलंबिया की राजदूत मारियाना पाचेको मॉटेस का कीनोट संबोधन देगी वहीं एक अन्य सत्र में आस्ट्रिया के ट्रेड कमिश्नर एवं कामर्सियल काउंसलर हैंस जार्ग हॉर्टनगली की नोट संबोधन देंगे।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि लीडरशीप डिस्कशन: हाइड्रोकार्बन सिनियरिटी- अवसर एवं चुनौतियां सत्र में पैनल डिस्कशन में भारत एवं राजस्थान में हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र और राजस्थान स्थित बाइनेस रिफाइन्डरी का प्रदेश के विकास में योगदान एवं पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास पर मंथन होगा।

जयपुर, (का.सं.)। आगामी 3 अगस्त को जयपुर में आयोजित एक दिवसीय माइनिंग, ऑयल और गैस कॉन्क्लेव में उद्घाटन व समापन सत्र सहित तकनीकी सत्रों में देश और प्रदेश के माइनिंग, पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र के वर्तमान सिनियरिटीयों, दिशा और भावी संभावनाओं पर जाने-माने विशेषज्ञ मंथन करेंगे। कॉन्क्लेव में अन्य विशेषज्ञों के साथ ही कोलंबिया की राजदूत मारियाना पाचेको मॉटेस और आस्ट्रिया के ट्रेड कमिश्नर एवं कामर्सियल काउंसलर हैंस जार्ग हॉर्टनगली भी हिस्सा लेंगे।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक कराएँ।

तीये की बैठक
हमारे पूजनीय श्री अशोक कुमार शाह (Retd. SBBJ) पुत्र स्व. श्री इंद्रलाल शाह बापूनागर निवासी का आकस्मिक स्वर्गवास 30.07.2022 को हो गया। तीये की बैठक 01.08.2022 को प्रातः 8:30 बजे भट्टारकजी की नर्सियां पर होगी। तपश्चत घडियो का दस्तूर होगा।

शोककुल: उषा (पत्नी), मुनादेवी (चाची), CA अमित- नितिका (पुत्र- पुत्रवधु), स्नेहलता पत्नी स्व. विनोद शाह, वीरेंद्र- मधु (भाई- भाभी), अरुणा- नरेंद्र रास (बहन- बहनोई), सोना- मनीष अग्रवाल, मोना- नरेंद्र अजमेरा, (पुत्री- पुत्री दामाद), स्वाति- श्रुतु अजमेरा, श्वेता- स्वनिल जैन (भतीजी- दामाद), आकांशु- शुभमी (भतीजा- भतीजाबहू), अनिका- आरुष (पौत्री- पौत्र), आदित्य, यश, जिनय, वाव्या, दिव्याना (दोहिले- दोहिली) समस्त शाह परिवार। 9414047102

- देश में राजजिग स्टेट के रूप में राजस्थान को मिला दूसरा स्थान

तथा रजिस्ट्रार सहाकारिता मुक्तानंद अग्रवाल को पुरस्कार दिया है। राजस्थान को यह पुरस्कार एग्री इंफ्रा फण्ड योजना में राजजिग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर मिला है। रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि एग्री इंफ्रा फण्ड योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट्स (राशि 747.17 करोड़ ₹.) की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में कुल 781 प्रोजेक्ट्स अनुमोदित किये गये हैं। प्रोजेक्ट्स हेतु वितरण की गई ऋण राशि (559.50 करोड़ ₹.) की दृष्टि से भी राज्य का देश में दूसरा स्थान है। अब तक राज्य में कुल 713 प्रोजेक्ट्स को ऋण दिया गया है।

केंद्र ने एग्री इंफ्रा फण्ड योजना में राजस्थान को सम्मानित किया



नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि राज्य मंत्री केलशा चौधरी ने प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार तथा रजिस्ट्रार सहाकारिता मुक्तानंद अग्रवाल को पुरस्कार सौंपा।

अग्रवाल ने बताया कि कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों, कृषकों, कृषक उद्यम संगठनों, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, कृषि उद्यमियों इत्यादि को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स तथा

डॉ. पूनिया आज से पांच जिलों के प्रवास पर रहेंगे

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक अजमेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के प्रवास पर रहेंगे। डॉ. पूनिया 31 जुलाई को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कार्यक्रमों के साथ सुनेंगे, इसके बाद जयपुर से प्रस्थान कर पुष्कर में शाम 4 बजे सोशल मीडिया भाजपा प्रदेश कार्यशाला को संबोधित करेंगे, पुष्कर से प्रस्थान कर खींचसर में रात 8 बजे कार्यक्रमों बैठक लेंगे। 1 अगस्त को सुबह 7 बजे खींचसर से प्रस्थान कर जोधपुर जिले के लोहावट में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, फलोदी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 10 बजे कार्यक्रमों से संबाद करेंगे, फलोदी के होपारडी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल के निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे।

महिला कांग्रेस ने स्मृति ईरानी का पुतला फूँका



अखिल भारतीय महिला कांग्रेस एवं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के आह्वान पर सांगानेर विधानसभा के सिटी बस स्टैंड सड़क पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूँका गया।

जयपुर, (का.प्र.)। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से संसद परिसर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अपमानजनक व्यवहार करने के विरोध में शनिवार को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस एवं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के आह्वान पर सांगानेर विधानसभा के सिटी बस स्टैंड सड़क पर स्मृति ईरानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूँका गया।

जयपुर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मंजुलता मीणा के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूँका और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मंजुलता मीणा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की सम्मानित नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जिस तरह

टारगेट किया जा रहा है, वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री का पुतला फूँका गया है। पुतला दहन कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव लीलावती वर्मा, जयपुर शहर महिला कांग्रेस की पूर्व महासचिव सुनीता बाल्मीकि, वार्ड अध्यक्ष सुनीता शर्मा, ब्लॉक महासचिव नाना देवी मीणा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रही।

बिना तबादला रिलीव करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर का तबादला किए बिना उसे वर्तमान पद से रिलीव करने पर चिकित्सा विभाग से जवाब मांगा है। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को वर्तमान पद पर कार्य करते रहने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजित सिंह ने यह आदेश शबाना परवीन की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप

सेनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता दिसंबर 2020 से टॉक के देवली अस्पताल में काम कर रही है। उसके खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं है। इसके बावजूद तब 14 जुलाई को उसके स्थान पर अन्य नर्सिंग ऑफिसर अफसाना बानो को लगा दिया गया। जबकि इस दौरान याचिकाकर्ता का दूसरी जगह तबादला भी नहीं किया।

ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मोती ड्यूरी थानाधिकारी को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि उनियारा गार्डन स्थित होटल के ध्वनि प्रदूषण करने को लेकर पिछले छह माह में कितनी शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई। वहीं अदालत ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सर्वे करे और रात आठ बजे से रात 12 बजे तक हर घंटे प्रदूषण नपवाए। अदालत ने कलेक्टर से 22 अगस्त तक बताने को कहा है कि उन्हें प्रकरण को लेकर कितनी शिकायतें मिली और उन्होंने शिकायतों का निस्तारण किया या नहीं? जस्टिस अशोक कुमार गौड ने यह आदेश उनियारा गार्डन के स्थानीय

- कोर्ट ने थानाधिकारी और कलेक्टर से उनियारा गार्डन स्थित होटल के ध्वनि प्रदूषण करने को लेकर पिछले छह माह में आई शिकायतों पर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा

निवासियों की याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अदालत ने नौ अक्टूबर 2018 को यहां ध्वनि प्रदूषण मापने का यंत्र लगाने को कहा था। कलेक्टर की ओर से 23 अक्टूबर, 2018 और 29 नवंबर 2018 को पालना रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि कॉलोनी में अभी भी ध्वनि प्रदूषण की समस्या बनी हुई है।

स्थानीय निवासियों ने समय-समय पर पुलिस में इसकी शिकायत भी दी थी। ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। वहीं संबंधित होटल की ओर से कहा गया कि कुछ कॉलोनी वासियों ने शपथ पत्र पेश कर कहा है कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कलेक्टर और थानाधिकारी से जानकारी पेश करने को कहा है।

नाबार्ड बैंक के समक्ष ग्रामीण बैंक कर्मियों का धरना

जयपुर, (का.प्र.)। ऑल इण्डिया रिजलन रूरल बैंक एम्प्लॉयज एग्रेसिवेशन (अरेबिवा) के आहवांन पर शनिवार को ग्रामीण बैंक के कर्मियों की मांगों के समर्थन में नाबार्ड बैंक, जयपुर के समक्ष राजस्थान प्रदेश ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के नेतृत्व में धरना दिया गया। धरने के जरिए मुख्य मांगों नई भर्ती शुरू करने, एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेशों स्वीमा लागू करना, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करना एवं उच्च पदों पर संचालक बैंक के स्थान पर बैंक में से ही पदेनत कर लगाने पर ध्यान दिलाया गया। इस धरने में बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं मरुधरा ग्रामीण बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों ने भाग लिया।

‘खनन माफिया गहलोतजी की गोद में बैठा हंस रहा है’

जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भरतपुर के ब्रज क्षेत्र में आवृत्त खनन रोकने के अनेक प्राणों की आहुति देने वाले संत बाबा विजयदास का वीडियो साझा करते हुए राजस्थान सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। शेखावत ने कहा कि साधु-संतों को प्रताड़ित कर भटकया जा रहा है और खनन माफिया गहलोत जी की गोद में बैठा हंस रहा है। शनिवार को ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वीडियो से स्पष्ट है कि संत बाबा विजयदास जी ने आत्मदाह के पूर्व राज्य सरकार को बता दिया कि अब उनके पास ‘करो या मरो’ की अलावा कहीं रास्ता नहीं बचा है। शेखावत ने कहा कि उन्होंने प्राण दे दिए पर सरकार टस से मस न हुई, उठते मुद्दा घुमाने के नए षड्यंत्र चल रहे हैं। साधु-संतों को प्रताड़ित कर भटकया जा रहा है और खनन माफिया गहलोत जी की गोद में बैठा हंस रहा है।

- केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने साझा किया संत बाबा विजयदास जी का वीडियो

चल रहे हैं। साधु-संतों को प्रताड़ित कर भटकया जा रहा है और खनन माफिया गहलोत जी की गोद में बैठा हंस रहा है।

बांसवाड़ा में महिला को पेड़ से बांधकर पीटने की घटना का वीडियो साझा करते हुए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के गृह मंत्रालय ने गुंडे-बदमाशों को खुली छूट दी है, जैसे जंगल में भूखे भेड़िए घूमते हैं।

तीये की बैठक
हमारे पूजनीय श्री अशोक कुमार शाह (Retd. SBBJ) पुत्र स्व. श्री इंद्रलाल शाह बापूनागर निवासी का आकस्मिक स्वर्गवास 30.07.2022 को हो गया। तीये की बैठक 01.08.2022 को प्रातः 8:30 बजे भट्टारकजी की नर्सियां पर होगी। तपश्चत घडियो का दस्तूर होगा।

शोककुल: उषा (पत्नी), मुनादेवी (चाची), CA अमित- नितिका (पुत्र- पुत्रवधु), स्नेहलता पत्नी स्व. विनोद शाह, वीरेंद्र- मधु (भाई- भाभी), अरुणा- नरेंद्र रास (बहन- बहनोई), सोना- मनीष अग्रवाल, मोना- नरेंद्र अजमेरा, (पुत्री- पुत्री दामाद), स्वाति- श्रुतु अजमेरा, श्वेता- स्वनिल जैन (भतीजी- दामाद), आकांशु- शुभमी (भतीजा- भतीजाबहू), अनिका- आरुष (पौत्री- पौत्र), आदित्य, यश, जिनय, वाव्या, दिव्याना (दोहिले- दोहिली) समस्त शाह परिवार। 9414047102

आम सूचना मेरा एक प्लॉट नंबर 2 दीवान जी की कोठी सुजान नगर स्थित लॉन्स जयपुर में स्थित है जिसका सेव व मेरे पति नागुलाल सेनी का अंशक पट्टा है। मेरे पति ने अन्य व्यक्त को इस अंशकण खर दिया है। वे इस मकान को अपने किसी भी प्रकार से अंतरण कर सकते हैं अतः सूचित करती हूँ कि यदि मेरे पति किसी भी प्रकार का उक्त मकान का अंतरण करते हैं तो वह स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। मेरा मकान पत्नी नागुलाल सेनी, निवासी मकान नं. 2 दीवान जी की कोठी सुजान नगर स्थित लॉन्स, जयपुर।
अनुपम (राजस्थान) कानून वकिल, मो. 9887305720

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudharma, Lal Kothi Shopping Centre, Tonk Road, Jaipur-302015
Case No. AO/111/2021 Etc. No.5593
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

AXIS BANK VS MRS ADITI BAJAJ
(1) Mrs Aditi Bajaj/D/W/S/O- Jyoti Bajaj, Plot No. 567, Sector-1, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan-302006
(2) Mrs Aditi Bajaj/W/O-Harish Kumar Bajaj, Plot No. 567, Sector-1, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan-302001
(3) Mrs Aditi Bajaj/W/O-Harish Kumar Bajaj, Plot No. 567, Sector-1, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan-302001
(4) Harsh Bajaj/S/O Shyam Sunder Bajaj (Plot No. 567, Sector-1, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan-302001)
(5) Adarsh Build Estate Ltd Through its Director Manish Choudhary, Registered Office: 10th Floor, Tower-9B, DLF Cyber City, Phase-III Gurgaon, Haryana-122002
Also At- Element Mall Near DCM Market, Almer Road, Jaipur, Rajasthan-303021

SUMMONS
WHEREAS, OA/111/2021 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 07/06/2022. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs.35,45,515/- (application along with copies of documents etc. annexed) in the name of the applicant and in the name of the respondent. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before the Tribunal on 30/09/2022 at 10:30 AM failing which the application shall be heard and decided in your absence. Give under my hand and seal of this Tribunal on this date: 14/06/2022

COLLEGE OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur, 313001
No.: CTAE/Acctts/Tender/2022/4065 Date: 30-07-2022
NOTICE INVITING TENDERS
NIT: CTAE/NIT/2022-23/01. Last date of submission: 16-08-2022
Sealed, Single stage, unconditional bids are invited for supply of various 'Services at College and Hostels (Total no. of Tenders = 09)' at CTAE, Udaipur. Details about the Bids may be seen in the bidding document on websites www.ctae.ac.in, www.mput.ac.in, http://sppp.rajasthan.gov.in and may be downloaded. In future any information/corrigendum relating to the bids will be available on the above websites only.
NIB No.: ATU2223A0167; UBN: ATU2223SSRC00165 to 173.
DEAN, CTAE

सूचना 'समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आम सभा दिनांक 14/08/2022 को प्रातः 11 बजे समिति के कार्यालय पर आयोजित की जा रही है जिसमें आजीविका उपस्थिति अनिवार्य है। आम सभा एजेन्डा 1. ऑडिट पर विचार 2. संशोधित पॉलिसियों पर विचार 3. सदस्यता पर विचार व अन्य विषयों पर मंत्री/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार-विमर्श किया जावेगा। कोरम्यूनिटी के अभाव में आम सभा उसी दिन निर्धारित समय के आगे धरते परवात आयोजित की जायेगी।'
'अध्यक्ष पुरानी बस्ती कोठी ग्रह निर्माण स. सं. रि. 305, कर्णी चैम्बर, इयम्पट टॉवर, अजमेर रोड जयपुर'
दिनांक-30/7/22 मंत्री-पुरानी बस्ती कोठी, ग्रह निर्माण सहाकारी समिति लि.

NAME CHANGE
I have changed my name from Taruna Sharma to Sabina Zaheer Khan In future, 3943 Mohalla Pharganj Opp. Masjid Near Surajpole Gate, Jaipur.

I have changed my name Harish Kumar to Harish Kumar Makhija In future I will be known by this name Add.- 119/290, Agarwal Farm Mansarovar, Jaipur 302020 (Raj.)

I have changed my name from ANSHU to ANSH SOOD S/o Vikas Sood for all purposes. R/o- Ward No.22 Shiv Colony, Power house ke piche Teh. Chirawa Dist. Jhunjhunu (Raj.)
I Santosh Kanwar Legally Wedded spouse of Army no 298740K Rank Ex Hav Ghanshyam Singh R/O Village post Shishiyana Dist Jhunjhunu Raj Have changed my name from SHANTOSH DEVI IS Wrong Entered In Husband service documents To SANTOSH KANWAR (DOB 15/11/1973) vide affidavit dated 26/Jul. 2022 before district notary Jaipur.